न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 18/2019

1. सिकन्दर पुत्र मेहरदीन
2. मोहम्मद पुत्र मेहरदीन
3. मेहबूब पुत्र मेहरदीन
4. इलियास पुत्र मेहरदीन
5. हजुरखां पुत्र मेहरदीन
6. जमी पत्नी मेहरदीन
   जातियान मुलसमान, निवासीगण ग्राम नूरे की भूर्ज
   तहसील बाप, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
7. सरीफो पुत्री मेहरदीन पत्नी जुसुब खां मुसलमान
   निवासी बाहला, तहसील नाचना
   जिला जैसलमेर
8. रेहमत पुत्री मेहरदीन पत्नी मौलाबक्स
9. इमामत पुत्री मेहरदीन पत्नी सोनेखां
   जातियान मुसलमान, निवासीगण भडला
   तहसील बाप जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
10. यार मोहम्मद पुत्र मलु खां मुसलमान
    निवासी ग्राम नूरे की भूर्ज
    तहसील बाप, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. ताज मोहम्मद पुत्र खेर मोहम्मद मुसलमान
   निवासी ग्राम नूरे की भूर्ज
   तहसील बाप, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर फलोदी दिनांक 16 अगस्त 2019 प्रकरण संख्या 2/2017 ताज मोहम्मद बनाम मेहरदीन के कायममुकामान व अन्य

उपस्थित–

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
रेस्पो. संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 03 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 2/2017 ताज मोहम्मद बनाम मेहरदीन के कायममुकामान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत एक प्रार्थनापत्र खसरा संख्या 298 रकबा 25 बीघा वाके गांव नूरे की भुर्ज को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 को उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि का आवण्टन सोजा पत्नी काले खां के नाम दिनांक 19 जून 1971 को विधिवत किया गया, वक्त आवण्टन आवण्टी सोजा के नाम अन्य कोई खातेदारी भूमि नही थी, जिससे वह भूमिहीन की श्रेणी में आती थी। वक्त आवण्टन से निरन्तर आवण्टी सोजा का आवण्टित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष मिसल मूल रेकर्ड तलबी हेतु चल रही थी, मगर मूल रेकर्ड प्राप्त हुए बिना और कोई मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या एक के प्रार्थनापत्र को आधार मानते हुए उक्त आवण्टन खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। इतना ही नहीं, रेस्पो. संख्या एक हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थनापत्र चलने योग्य ही नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने 2009(1) आरआरटी 220 व 2009(1) आरआरटी 238 प्रस्तुत कर कथन किया कि 1971 में हुए आवण्टन को नियम 14(4) की कार्यवाही के तहत वर्ष 2019 में कपट अथवा दुर्व्यपदेशन के आरोप की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इसी संदर्भ में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2006–2007 आरआरटी 273, 2007(2) आरआरटी 1430, 2020(2) आरआरटी 814, 2014–2015(पूरक) आरआरटी 731, 2003(2) आरआरटी 921, 2002(1) आरआरटी 538, 1999 आरआरडी 1219, 2007 आरआरडी 481 व 2015(2) आरआरटी 868 की ओर भी आकर्षित किया और अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि वक्त आवण्टन आवण्टी भूमिहीन काश्तकार नहीं था, आवण्टी के पास खसरा संख्या 102 में 163 बीघा भूमि थी, जिसका दिनांक 27 मई 1971 को रिश्तेदार के नाम बेचान दर्शा कर स्वयं को भूमिहीन जाहिर करते हुए आवण्टन कराया गया। कपटपूर्वक मिथ्या तथ्यों के आधार पर कराया गया आवण्टन किसी भी स्तर पर कभी भी निरस्त किया जा सकता है, जैसाकि 2002 आरआरडी 1, 2009(1) आरआरटी 64, 2000

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आरआरडी 140, 2000 आरआरटी 77, 2000 आरआरडी 151 (हेडनोट ए व हेडनोट बी) में प्रतिपादित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहाँ तक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) की संधारणीयता का प्रश्न है, इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स का आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि नियम 14(4) में स्पष्ट उल्लेखित है कि प्रार्थनापत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम नूरे की भूर्ज स्थित आराजी खसरा संख्या 102 रकबा 363 बीघा भूमि में आवण्टी सोजा पत्नी काला का ⅓ हिस्सा होने से वक्त आवण्टन उसे भूमिहीन नहीं मानते हुए एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवण्टन कराया जाना मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा विधिक .त्रुटि नजर नहीं आती है। तहसीलदार की ओर से जबाब व पटवारी हळका की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वक्त आवण्टन आवण्टी सोजा भूमिहीन नहीं होने के कारण आवण्टन आदेश प्रारम्भ से शून्यप्रभावी होने से किसी भी स्तर पर अपास्त किया जा सकता है। अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजीरों में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि कपटपूर्वक मिथ्या तथ्यों के आधार पर कराया गया आवण्टन किसी भी स्तर पर कभी भी निरस्त किया जा सकता है। मिथ्या तथ्यों पर आधारित ऐसे किसी आवण्टन के अनुसरण में आवण्टित भूमि पर दीर्घ कब्जे के आधार पर भी आवण्टी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर